

(2)

**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण**

(नयशा केंद्र)

पत्रांक : 01/40810-भवन/जेन-01/2013-14 दिनांक 22/07/2013

**अनुमति-पत्र**

यह अनुमति उत्तरांचल नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किंतु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में भिन्न पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र रीजिस्टर किया जा रहा है, इसके किसी प्रकार के किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के सल्लेखन अधिलेखों पर किसी का कोई असर होगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलाने या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री दिनेश कुमार केसरवानी एवं श्रीमती कुसुम देवी द्वारा भवन संख्या-6 पुराना 320 नया दहादुरगंज, गहरील-सदर, जिला इलाहाबाद जैन संख्या (1) के अंतर्गत व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु आविष्ट भवन मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है -

1. उत्तरांचल नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 (1) के अधिनियमों के अनुसूचन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही त्रयोपंग/शक्तिमय क्षेत्र काटेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.B एवं 3.1.A में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह शर्तों के अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात्, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को इन्हें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित कैसे जाने वाले 'पूर्णा प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिवार को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फीट का एक बड़े तानाका स्वीकृति समतली विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 22 अक्षर ब्रह्म लिपि में लिखे गए स्तंभों को इतना रखने का शर्तित आवेदक का होगा।
5. प्रस्ताव निर्माण को कुशल इन्जीनियर की देख रेख में करना होगा, जिससे जन भवन की इति न होने पारी
6. नगर आधुनिक, नगर नियम इलाहाबाद की अनापत्ति, पत्र संख्या-डो 4756/P.W.D/13 दिनांक 20/07/2013 में उचित प्रतिबन्धों का गालन करना आवश्यक होगा। (छयप्रति संलग्न)
7. मानचित्र में दर्शित शक्तिमय स्थल का उपयोग 'अर्थ' हेतु ही किया जाय।
8. मानचित्र की स्वीकृति स्टिपुल परिधि, अपर प्रोटेक्ट फ्लोर पर शाय, प्रथम एवं द्वितीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है, स्थल का उपयोग/उपयोग रीजिस्टर प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
9. मानचित्र न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति मन्त्रीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व राखती किसी भी पैदाश पर मानचित्र स्वतंत्र निरस्त समझा जावेगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उत्तरांचल नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. भवन निर्माण से यदि गली के अक्षर की पट्टी अथवा सड़क या नदी के किसी एक (को नजान के साथ साथ, एक साथ अथवा उसके अक्षर के कारण एक गैर) को इति पहुँचे तो गृहवासी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र क्या तो पहले ही उसे अपने अर्थ से मरनात करके पूर्णता अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को उत्तम रूप में कर देगा।
12. यह शर्तों पत्र केवल तीन वर्ष को अथवा के लिए है।
13. यह निर्माण के साथ इसका भी ध्यान रखना होगा कि नरसीय विद्युत अधिनियम 1958 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नियम 82 का अधिनियम किसी भी देश में न होना चाहिये) यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को सड़क की नींव एक तल एक तल बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना, भवन बाहर होने से पूर्व देना होगा तथा उस आवेदक का नाम भी देना होगा जिसके निर्माण में गलत निर्माण हुआ है।
15. यदि निर्माण में अक्षर प्लान का अधिनियम होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनुमति धोखा कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

*Handwritten signature and date: 22-7-2013*

27/07/13  
(मुद्रांकित नाम)  
सहायक जिला/प्रशासक-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद, उ.प्र.

